न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 04 / 2026

उनवान

ओमप्रकाश वैष्णव उचित मुल्य दुकानदार खामोर, तहसील शाहपुरा, जिला भीलवाडा राज0 पॉस कोड 31467 प्राधिकार पत्र संख्या 1283 / 2023

—अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी भीलवाडा, जिला भीलवाडा।

—रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 विभागीय कार्यवाही अंतर्गत राजस्थान खादयान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण विनियमन) आदेश 1976

1. अधिवक्ता अपीलार्थी— कैलाश राव उपस्थित।
2. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट — विभागीय पैरोकार।

निर्णय

दिनांक : 02 / 06 / 2026

1— अपीलार्थी अधिवक्ता की ओर से अपील अतंर्गत धारा 22 विभागीय कार्यवाही अंतर्गत राजस्थान खादयान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण विनियमन) आदेश 1976 प्रस्तुत कर कथन किया गया कि— रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट का उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र बिना किसी युक्तियुक्त कारण के निरस्त कर भारी विधिक भूल की हैं। प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति को बगैर सुनवाई का अवसर दिये किसी प्रकार का निर्णय दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना है ओर रेस्पोडेन्ट ने राजनैतिक दुर्भावना से अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र जो निरस्त किया है वह पुनः बाहल किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को निलम्बन आदेश की प्रति भी उपलब्ध नही करायी गई। अपीलान्ट को उक्त निलम्बन आदेश की प्रति उच्च अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद रेस्पोडेन्ट ने उपलब्ध करायी गई है। जिससे रेस्पोडेन्ट की दुर्भावना स्पष्ट जाहीर होती है। अपीलान्ट को दिनांक 10.11.2025 को ही कारण बताओ नोटिस जारी किया था ओर दिनांक 12.12.2025 को ही अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। जो रेस्पोडेन्ट की दुरभि संधि को जाहिर करता है। अपीलान्ट के उपर कारण बताओ नोटिस में यह बताया कि अपीलानट ने वक्त जांच सहयोग नही किया। जबकि अपीलान्ट ने पूर्ण सहयोग किया। अपीलान्ट ने प्रवर्तन निरीक्षक ब्रिजेश सेठी के साथ दुरव्यवहार किया लेकिन अपीलान्ट न कोई दुव्यवहार नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा नियम विरूद्ध जी. एस.एस. को गेहू स्टॉक दिया जा रहा था। जबकि जी.एस.एस. को स्टाक दिये जाने का प्रावधान नही है। अपीलान्ट स्टॉक रजिस्टर पूर्ण विधिवत है। जिसमें उपस्थिति प्रमाणित है ओर जो नियमानुसार सर्तकता समिति के सदस्य है, उनकी उपस्थिति सरपंच द्वारा प्रमाणित है भौतिक सत्यापन प्रलेखिय रूप से प्रमाणित हैं ओर अपीलान्ट ने दिनांक 25.11.2024 को वितरण केन्द्र परिवर्तन की सूचना उपलब्ध करा दी थी और कारण बताओ नोटिस में स्टॉक मूल्य सूचना का सूचनापट नही लगाना बताया। जो नितान्त असत्य है। स्टॉक मूल्य सूचना का सूचनापट लगा हुआ है। स्टॉक रजिस्टर पूर्ण रूप से संदारण किया हुआ हैं। सामाजिक अन्केक्षण की बैठक में नियमत रूप से उपस्थिति है

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

ओर अपीलान्ट द्वारा किसी भी अपभोक्ता के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया गया है। जिन व्यक्तियों के बयान जांच रिपोर्ट में लेना बताया उनमें से 28 व्यक्ति अपीलान्ट की उचित मूल्य की दुकान के ग्राहक ही नही हैं और पांच व्यक्तियों का उक्त उचित मूल्य की दुकान से दुर दराज तक कोई सरोकार नहीं हैं।

2– अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बिना किसी कारण के निरस्त किया है। जो काबिले निरस्त योग्य है। दिनांक 29.10.2025 की मौका जांच में डीलर के हस्ताक्षर भी कूटरचित किये गये है। जिसकी प्राथमिक पुलिस रिपोर्ट अपीलान्ट ने प्रस्तुत कर रखी हैं। रेस्पोडेन्ट ने राजनैतिक दुर्भावना वश अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है जो काबिले बहालीय योग्य है। दिनांक 29.10.2025 की जो जांच रिपोर्ट में जो अपीलान्ट के हस्ताक्षर है। वो पूर्णरूपेण कूटरचित है। जिसकी एफएसएल जांच अपीलान्ट ने करवायी है। रेस्पोडेन्ट द्वारा जी.एस.एस. को नियम विरूद्ध गेहू स्टॉक दिये जाने से अपीलान्ट की उचित मूल्य की दुकान प्रभावित रही है। अपीलान्ट को निलम्बन आदेश की प्रति दिनांक 21.11.2025 को दी गई है जबकि निलम्बन आदेश 10.11.2025 का है। अपीलान्ट के विरूद्ध प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा झूठा मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। जिस मुकदमें पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है। दिनांक 29.10.2025 की मौका रिपोर्ट कूटरचित दस्तावेज है। जिस पर अपीलान्ट के गवाह बलवन्त सिंह, कन्हैयालाल व्यास उर्फ सिन्टू के फर्जी हस्ताक्षर है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट की अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र के निलम्बन किये जाने की संपूर्ण कार्यवाही दुषित कार्यवाही है। अपीलान्ट का जो प्राधिकार पत्र जो निरस्त किया है वह बहाली योग्य है। अपीलान्ट ने उच्च अधिकारियों को कई मर्तबा शिकायत लिखित में प्रस्तुत की जिसमें जो जी.एस.एस. को नियम विरुद्ध स्टॉक आवंटन किया जाता है शिकायत करने के बाद भी लगातार आवंटन किया जाता रहा हैं। जी.एस.एस खामोर द्वारा नियम विरुद्ध गेहू वितरण किया जाता रहा हैं। अन्य जी.एस.एस. की पॉस मशीनो का भी जी.एस.एस. खामोर द्वारा दुरूपयोग किया गया है। अपीलान्ट को एक ही दिन कारण बताओ नोटिस जारी करना व उसी दिनांक को प्राधिकार पत्र निलम्बन करना प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। इसलिए अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के विरूद्ध पूर्व में किसी प्रकार की कोई शिकायत नही है। ना किसी प्रकार की कोई अनियमितता है। केवल मात्र राजनैतिक दुरर्भावना से अपीलान्ट का यह प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। जो काबिले निरस्तगी के है। अपीलान्ट को जो कारण बताओ नोटिस दिनांक 10.11.2025 को जारी किया गया है ओर जिसमें 5.12.2025 को कारण बताओं नोटिस का जवाब मांगा था। अपीलान्ट ने यथा समय अपना स्पष्टीकरण व जवाब प्रस्तुत कर दिया था। उस जवाब व स्पष्टीकरण पर रेस्पोडेन्ट ने कोई गुणावगुण विवेचन किये बगैर दिनांक 10.11.2025 को ही प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया। एक तरफ दिनांक 5.12.2025 तक स्पष्टीकरण मांगना और दिनांक 12.12.2025 को प्राधिकार पत्र निरस्त करना रेस्पोडेन्ट की उक्त कार्यवाही दुषित कार्यवाही हैं और प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराना पूर्ण रूपेण राजनैतिक दुर्भावना वश यह कार्यवाही की गई है। गोदाम परिवर्तन की सूचना अपीलान्ट ने दिनांक 25.11.2024 को ही प्रस्तुत कर दी थी। अपीलान्ट ने ना तो किसी प्रकार की कोई अनियमितता की, ना कोई बाधा पहुचाई ना कोई नियम विरूद्ध कृत्य किया है। इन सब तथ्यों को नजर अंदाज कर अपीलान्ट का जो प्राधिकार पत्र निरस्त किया है वह काबिले निरस्तनीय हैं।

3– अपीलान्ट अपनी उचित मूल्य की दुकान का पूर्णरूपेण नियमानुसार संधारण कर रहा है। किन्तु रेस्पोडेन्ट ने बिना किसी कारण के अपीलान्ट का जो प्राधिकारपत्र निरस्त किया है वह काबिले बहाली योग्य हैं। जी.एस.एस. खामोर को जानबूझकर रेस्पोडेन्ट द्वारा गेहू स्टॉक नियम विरुद्ध दिया जाता रहा है। जिसकी शिकायत समय समय पर अपीलान्ट ने की किन्तु उस पर कोई कार्यवाही नही कर अपीलान्ट को प्रताडित किया गया है। दिनांक 29.10.2025 को मौका फर्द निरीक्षण पत्र में अपीलान्ट व गवाहन के कूटरचित हस्ताक्षर किये जिसकी अपीलान्ट ने पुलिस प्रशासन में सूचना दे रखी है जो जैर

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

कार्यवाही है। अपीलान्ट के विरूद्ध प्रर्वतन निरीक्षण ने जो झूठा मुकदमा दर्ज कराया उस कार्यवाही पर भी माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन जारी कर रखा है।

4— अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र जानबूझकर राजनैतिक दुर्भावना पूर्वक निरस्त किया है जो काबिले बहाली योग्य है। जहां तक की अपीलान्ट को निलम्बन आदेश की सूचना तक भी नही दी गई है। अपीलान्ट को निलम्बन की सूचना भी माननीय उच्च न्यायालय में दायर रीठ याचिका से पता चला कि अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट के कार्मिको द्वारा अपीलान्ट के उचित मूल्य की दुकान का जाली कूटरचित फर्द मौका बनाया। जो एफएसएल रिपोर्ट से प्रमाणित है और अपीलान्ट पर दबाव बनाने के अपीलान्ट के विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया उक्त सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य के प्रकाश में यह स्पष्ट जाहीर है कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र राजनैतिक दुर्भावना वश निलम्बित किया है। जो पुनः बहाली योग्य है। अपीलान्ट अपनी उचित मूल्य की दुकान का पूर्वोत्तर समय से निर्बाद रूप से नियमानुसार संचालन कर रहा है। इसलिए अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र पुनः बहाल किया जाना न्यायोचित है। रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 10.11.2025 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया, अपीलान्ट ने अपना पूर्ण स्पष्टीकरण मय दस्तावेजी साक्ष्य के रेस्पोडेन्ट को प्रस्तुत कर दिया। उस स्पष्टीकरण को रेस्पोडेन्ट ने नजर अंदाज कर मनमकसूद तरीके से एकपक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 12.12.2025 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र पूर्ण रूपेण निरस्त करने का निर्णय पारित कर भारी विधिक भूल की है। प्राकृतिक न्याय की अवहेलना की है। साथ ही अपीलान्ट की प्रतिभूति राशि जो रेस्पोडेन्ट के यहां जमा थी उस राशि को भी जप्त सरकार करने का आदेश देकर भारी विधिक भूल की हैं। अपीलान्ट के साथ रेस्पोडेन्ट ने एक पक्षीय कार्यवाही कर प्राधिकार पत्र पूर्ण रूपेण निरस्त करने का जो निर्णय दिया गया है उसमें अपीलान्ट को नहीं सुना गया है, रेस्पोडेन्ट ने अपने निर्णय में जो 10 आक्षेप संधारण किये है उन सभी आक्षेपो की दस्तावेजी साक्ष्य अपीलान्ट ने प्रस्तुत कर दी थी किसी भी साक्ष्य का सुक्षम विवेचन रेस्पोडेन्ट ने अपने निर्णय में नहीं किया हैं। रेस्पोडेन्ट का उक्त निर्णय विधि विरूद्ध होकर दुषित निर्णय है। अपीलान्ट का जो प्राधिकार पत्र पूर्ण रूपेण निरस्त किया है। वह काबिले निरस्तनीय हैं। रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के बचाव साक्ष्य को पूर्ण नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया जो निर्णय काबिले निरस्तनीय है।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र पुनः बहाल किये जाने का आदेश पारित कराया जाने का निवेदन किया गया।

5— **बाद जांच प्रकरण दिनांक 12.03.2026 को पजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी की आरे से जवाब पेश किया गया। विपक्षी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि—** राशन डीलर के विरूद्ध शिकायत की पूर्ण जांच कर उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 एवं 9 के तहत उसके प्राधिकार पत्र कमांक 1283/2023 को निरस्त किया गया। नियमानुसार राशन डीलर को निलंबन आदेश की प्रति डाक से दिनांक 19.11.2025 एवं राशन डीलर द्वारा दिनांक 19.11.2025 को कार्यालय में प्रतिलिपि का आवेदन दिनांक 19.11.2025 को किया गया था। अपीलान्ट राशन डीलर को 10.11.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी कर उसे सनुवाई का अवसर प्रदान किया गया। डीलर द्वारा दिनांक 05.12.2025 को जवाब प्रस्तुत किया गया जिसका पूर्ण विवेचन कर उसके प्राधिकार पत्र स0 1283/2025 को निरस्त किया गया। जांच टीम द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त जांच राशन डीलर द्वारा प्रवर्तन टीम के साथ कार्यवाही में पूर्ण सहयोग नहीं किया गया। अपीलान्ट राशन डीलर द्वारा जाच टीम के साथ दुर्व्यवहार किया गया। विभाग द्वारा नियमानुसार जीएसएस खामोर एवं अपीलान्ट राशन डीलर श्री ओमप्रकाश वैष्णव को राशन सामग्री का आवंटन किया गया। किन्तु अपीलान्ट राशन डीलर की वितरण व्यवस्था एवं उसका व्यवहार त्रुटिपूर्ण होने से उसके वितरण क्षेत्र के उपभोक्ताओ ने उससे राशन लेने से मना

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

कर दिया जिसकी पुष्टि उपभोक्ताओं द्वारा दिये गये बयानों से होती है। वक्त निरीक्षण डीलर द्वारा स्टॉक रजिस्टर का संधारण किया जाना नहीं पाया गया जिसका उल्लेख जांच रिपोर्ट में किया गया है। जांच रिपोर्ट में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया कि उचित मूल्य दुकान के बाहर दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्यों के नाम प्रदर्शित नहीं है तथा न ही उनके द्वारा सतर्कता समिति से स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराया जाता है। जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 10.12.2025 की बिन्दु स0 04 के अनुसार प्राधिकार पत्र में प्रमाणित दुकान/गोदाम से भिन्न स्थान पर राशन सामग्री का भण्डारण व वितरण किया जाना पाया गया। डीलर द्वारा 28.11.2024 को गोदाम परिवर्तन हेतु जी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उस पर जिला रसद अधिकारी की मार्किंग की गई थी किन्तु मार्किंग के बाद यह प्रार्थना पत्र स्वयं राशन डीलरद्वारा ही गायब कर दिया गया जिसकी पुष्टि इस तथ्य होती है कि कार्यालय की आवक शाखा तथा तत्कालीन प्राधिकारपत्र शाखा प्रभारी दोनों ने लिखित रूप में इस प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त होना नहीं बताया है। इस प्रकार डीलर द्वारा आपराधिक प्रवृति का कार्य किया गया है। जांच रिपोर्ट की विन्दु सं० के अनुसार वक्त जांच दुकान के बाहर मूल्य सूची व स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड का संधारण नहीं होना पाया गया जिसका अंकन पर्चा भीका में भी किया गया है। राशन डीलर सामाजिक अंकेक्षण बैठक में उपस्थित नहीं होता है। जांच रिपोर्ट दि० 07.11.2025 से यह स्पष्ट है कि राशन डीलर का व्यवहार उचित नहीं है।

6— अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरस्त किया गया। फर्द दिनांक 29.10.2025 पर राशन डीलर ओमप्रकाश वैष्णव के कूटरचित हस्ताक्षर के संबंध में यह है कि जांच टीम से स्पष्टीकरण लिया गया तो उसने बताया कि पर्चा मौका पर किये गये हस्ताक्षर डीलर के स्वयं के हैं। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरस्त किया गया। दिनांक 29.10.2025 को हस्ताक्षर कूटरचित होने के आरोप एवं राजनैतिक दुरभावना का आरोप तथ्यहीन है। विभाग द्वारा नियमानुसार जीएसएस खामोर एवं अपीलान्ट राशन डीलर श्री ओमप्रकाश वैष्णव को नियमानुसार राशन सामग्री का आवंटन किया गया। जांच के दौरान पायी गयी गंभीर अनियमितता के कारण प्राधिकार पत्र नियमानुसार नियत प्रक्रिया के तहत सुनवाई का अवसर देकर जवाब का पूर्ण विवेचन उपरांत निरस्त किया गया। राशन डीलर को गेहूं का स्टॉक खाद्य विभाग द्वारा एससीएम पोर्टल पर ऑनलाईन रूप से आवंटित होता है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरस्त किया गया। राशन डीलर को निलम्बन आदेश की प्रति डाक से दिनांक 19.11.2025 एवं उसकी प्रमाणित प्रति व्यक्तिशः 21.11.2025 को उपलब्ध करवाई गई। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरस्त किया गया। फर्द दिनांक 29.10.2025 पर राशन डीलर ओमप्रकाश वैष्णव के कूटरचित हस्ताक्षर के संबंध में यह है कि जांच टीम से स्पष्टीकरण लिया गया तो उसने बताया कि पर्चा मौका पर किये गये हस्ताक्षर डीलर के स्वयं के हैं। राशन वितरण के दौरान की गयी गंभीर अनियमितता पाये जाने पर डीलर को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर उसे पूर्ण सुनवाई का अवसर देते हुए जवाब का पूर्ण विवेचन कर डीलर के प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया। किसी भी प्रकार की एक पक्षीय कार्यवाही नहीं की गयी एवं कोई विधिक भूल नहीं की गयी।

7— **अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा दस्तावेज पेश किये जाकर अपनी ओर से प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्यों दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि—** अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बिना किसी कारण के निरस्त किया है। जो काबिले निरस्त योग्य है। दिनांक 29.10.2025 की मौका जांच में डीलर के हस्ताक्षर भी कूटरचित किये गये है। जिसकी प्राथमिक पुलिस रिपोर्ट अपीलान्ट ने प्रस्तुत कर रखी हैं। रेस्पोडेन्ट ने राजनैतिक दुर्भावना वश अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है जो काबिले बहालीय योग्य है। दिनांक 29.10.2025 की जो जांच रिपोर्ट में जो अपीलान्ट के हस्ताक्षर है। वो पूर्णरूपेण कूटरचित है। जिसकी एफएसएल जांच अपीलान्ट ने करवायी है। रेस्पोडेन्ट द्वारा जी.एस.एस. को नियम विरूद्ध गेहू स्टॉक दिये जाने से अपीलान्ट की उचित मूल्य की दुकान प्रभावित रही है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अपीलान्ट को निलम्बन आदेश की प्रति दिनांक 21.11.2025 को दी गई है जबकि निलम्बन आदेश 10.11.2025 का है। अपीलान्ट के विरूद्ध प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा झूठा मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। जिस मुकदमें पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है। दिनांक 29.10.2025 की मौका रिपोर्ट कूटरचित दस्तावेज है। जिस पर अपीलान्ट के गवाह बलवन्त सिंह, कन्हैयालाल व्यास उर्फ सिन्टू के फर्जी हस्ताक्षर है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट की अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र के निलम्बन किये जाने की संपूर्ण कार्यवाही दुषित कार्यवाही है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र पुनः बहाल किये जाने का आदेश पारित कराया जाने का निवेदन किया गया।

8— **उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का परीक्षण किया गया, जिसके अनुसार पाया गया कि–** निरीक्षण डीलर द्वारा स्टॉक रजिस्टर का संधारण किया जाना नहीं पाया गया। जांच रिपोर्ट में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया कि उचित मूल्य दुकान के बाहर दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्यों के नाम प्रदर्शित नहीं है तथा न ही उनके द्वारा सतर्कता समिति से स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराया जाता है। इस प्रकार राशन डीलर के विरूद्ध शिकायत की पूर्ण जांच कर उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 एवं 9 के तहत श्री ओम प्रकाश वैष्णव उचित मूल्य दुकानदार खामोर को पॉस कोड 31467 का जारीशुद्वा प्राधिकार पत्र कमांक 1283/2023 को निरस्त किया गया, जो विधिसम्मत पाया जाना प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अतंर्गत धारा 22 विभागीय कार्यवाही अंतर्गत राजस्थान खादयान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण विनियमन) आदेश 1976 स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है। अतएव–

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अतंर्गत धारा 22 विभागीय कार्यवाही अंतर्गत राजस्थान खादयान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण विनियमन) आदेश 1976 खारीज की जाती है। न्यायालय जिला रसद अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 10/2025 में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2025 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति न्यायालय जिला रसद अधिकारी भीलवाडा, जिला भीलवाडा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक02/06/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा